निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 66 / 2024
दायरा दिनांकः–10.12.2024
निर्णय दिनांकः– 23.04.2025

उनवान

1. राधाकिशन आयु 83 वर्ष पुत्र गोपाल जाति खरवाल निवासी गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कैलाश आयु 30 वर्ष पुत्र राधाकिशन जाति खारवाल निवासी ग्राम गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,111,128,131 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 23.04.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136111,128,131, एल0आर0एक्ट0 विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल गूगोर पटवार मण्डल गूगोर तहसील छबड़ा मे जमाबंदी सम्वत 2075 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 389 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 1.4923 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चली आ रही है। जिस पर प्रार्थी निर्वाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 वर्णित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 331 एंव अप्रार्थी नम्बर 1 की आराजी खसरा नम्बर 331 / 1 की भी हल्का पटवारी द्वारा ऑनलाईन राजस्व रिकार्ड मे तरमीम की गई जो सहवन से प्रार्थी के खसरा नम्बर 331 की तरमीम पश्चिमी दिशा की ओर एंव अप्रार्थी कम 1 के खसरा नम्बर 331 / 1 की तरमीम पूर्वी दिशा की ओर कर दी गई है जो गलत है जबकि मौके पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 331 पूर्वी दिशा की ओर एंव अप्रार्थी के खसरा नम्बर 331 / 1 पश्चिमी दिशा की ओर स्थित है एवं उसी जगह काबिज है और निर्वाध रूप से प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 1 काश्त करते चले आ रहे है। जिसे प्रार्थी शुद्ध कराने का अधिकारी है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 1 खसरा नम्बरो की गलत जगह तरमीम हो जाने से प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 1 को भविष्य में अनेक कठिनाईयो का सामना करना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पडेगा इसलिए प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 1 के खसरा नम्बरान की तरमीम आनलाईन नक्शा राजस्व नक्शा लठ्ठा में सही जगह करवायी जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी की आनलाईन नक्शा नकल निकलवाई तब पता चला कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 1 के खसरा नम्बरान की तरमीम आनलाईन नक्शा मे गलत जगह दर्ज हो रही है। तब प्रार्थी हल्का पटवारी जी के पास गया तब हल्का पटवारी जी ने सम्मानीय न्यायालय में शुद्धी करवाने हेतु कहा। अप्रार्थी कम 2 लेण्ड होल्डर होने से एंव ऑनलाईन राजस्व नक्शा रिकार्ड मे गलत तरमीम की गई जिस कारण प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ । तथा अप्रार्थी क्रम 2 पैरोकार सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 224 नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 389 नकल नक्शा ट्रेस नकल नक्शा ट्रेस शपथ पत्र दिनांक 13.06.2023 फोटो प्रति आधार कार्ड राधाकिशन पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 331 एवं अप्रार्थी की आराजी खसरा 333/1 की ऑन लाईन राजस्व रिकार्ड में तरमीम की गई जो सहवन से प्रार्थी के खसरा नम्बर 331 की तरमीम पश्चित दिशा की ओर एवं अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 331/1 की तरमीम पूर्वी दिशा की ओर कर दी गई जो गलत है मौके पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 331 पूर्वी दिशा की ओर एवं अप्रार्थी के खसरा नम्बर 3311 पश्चिती दिशा की ओर स्थित है उसी जगह काबिज है तथा काश्त करतें चले आ रहे है प्रार्थी मौके पर कब्जे अनुसार खसरा नम्बरान की तरमीम ऑनलाईन नक्शा लटठा गें दुरस्त कराने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया है वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम गुगोर में खसरा नम्बर 331 रकबा 1.4923 है राधाकिशान के नाम है एवं खसरा नम्बर 331/1 रकबा 1.7705 है0 भूमि कैलाश के नाम दर्ज है वादी प्रतिवादी आपस में पिता पुत्र है दोनो मौके पर शामलाती में ही भूमि काश्त करतें चले आ रहे है DILRMP योजना के वक्त तरमीम करतें समय सहवन से एक दुसरे के विपरीत तरमीम हो गयी है अतः खसरा नम्बर 331 की जगह खसरा नम्बर 331/1 एवं खसरा नम्बर 331/1 की जगह

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खसरा नम्बर 331 की तरमीम होनी चाहिये। उक्त तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकरान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर तहसील छबडा में स्थित है। सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 224 खसरा नम्बर 331 रकबा 1.4923 है0 राधाकिशन पुत्र गोपाल केक खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम गुगोर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 389 खसरा नम्बर 331/1 रकबा 1.7705 है0 कैलाश पुत्र राधाकिशन खारवाल के खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी की भूमि पूर्वी तरफ है जो नक्शा में पश्चिमी तरफ दर्शायी गई है एवं अप्रार्थी की भूमि पश्चिमी दिशा में है जिसे पूर्वी तरफ नक्शा दर्ज किया गया है तहसीलदार छबडा ने भी रिपोर्ट में बताया कि दोनो खसरा नम्बरान DILRMP योजना के वक्त तररमीम करते समय सहवन से एक दुसरे के विपरीत तरमीम हो गये है जिसे दुरूस्त करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गुगोर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 331/रकबा 1.4923 है0 भूमि पूर्वी दिशा एवं खसरा नम्बर 331/1 रकबा 1.7705 है0 भूमि पश्चिमी दिशा की ओर नक्शा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार छबडो को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा